

शौर्य सैनिक कल्याण परिसर



**शौर्य सैनिक कल्याण परिसर
कैनाल रिंग रोड, देवी खेड़ा**



**शौर्य सैनिक कल्याण परिसर
औरंगाबाद खालसा**

उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम के 'शौर्य सैनिक कल्याण परिसर' में वयोवृद्ध सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए सेना मुख्यालय, मध्य कमान, लखनऊ द्वारा वृद्धाश्रम चलाने के लिए यह योजना शुरू की गयी थी, किन्तु पर्याप्त संख्या में इच्छुक वृद्ध सेवानिवृत्त सैनिकों के उपलब्ध न होने के कारण इस योजना का क्रियान्वन नहीं हो सका।

भविष्य में पर्याप्त संख्या में इच्छुक वयोवृद्ध सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा वृद्धाश्रम हेतु आवेदन करने पर उस योजना को भी निगम द्वारा शुरू किया जा सकता है। यदि कोई सेवानिवृत्त सैनिक वृद्धाश्रम में आने का इच्छुक है तो उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम में आवेदन कर सकता है।

वर्तमान समय में इस परिसर का उपयोग सेवानिवृत्त सैनिकों के पुत्र / पुत्रियों के विवाह स्थल के रूप में किया जा रहा है। शौर्य सैनिक कल्याण परिसर औरंगाबाद खालसा, शहीद नगर, नजदीक उद्यान 2 में भी यह सुविधा उपलब्ध है। यह विवाह स्थल सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों / वीर नारियों को काफी कम दर पर उपलब्ध करवाया जाता है।

उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम के प्रांगण में बने कमरों को अतिथि गृह (guest room) के रूप में कम दरों पर सेवानिवृत्त सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों / वीर नारियों को दिया जाता है।



मैरिज लान, शौर्य सैनिक कल्याण परिसर, देवी खेड़ा

बुकिंग के लिए संपर्क इस परिसर को बुकिंग करने के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं :-

सूबेदार सूर्य पाल यादव (सेवानिवृत्त) 7860030492

हवलदार एस एन तिवारी (सेवानिवृत्त) 7860030430

कार्यालय का पता :

उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०
कैनाल रिंग रोड, देवीखेडा
निकट एन०बी०एफ०जी०आर०
पोस्ट : दिलकुशा, लखनऊ-226 002

दूरभाष नं० : 7860030103

ईमेल : agmhr@upsainiknigam.com

एम्बुलेंस सेवा एवं हेल्पलाइन नम्बर (1800-274-1800)



उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में निवास कर रहे सेवानिवृत्त सैनिकों, दिवंगत सैनिकों कि पत्नियों, आश्रितों एवं दिव्यांग सेवानिवृत्त सैनिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जून 2017 से एम्बुलेंस सेवा एवं हेल्पलाइन नम्बर **(1800-274-1800)** की सुविधा प्रदान की जा रही है। हेल्पलाइन नम्बर से निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा रही हैं :-

- एम्बुलेंस सेवा।
- चिकित्सा सेवा संबंधित सलाह / सहायता प्रदान करना।
- वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैनिकों को सहायता प्रदान करना।
- दीर्घकाल से किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे सेवानिवृत्त सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- ऐसे सेवानिवृत्त सैनिक जिन्हें कोई पारिवारिक सहयोग प्राप्त न हो रहा हो , शारीरिक रूप से अक्षम, एवं किसी अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता न उपलब्ध हो, को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

निगम कर्मियों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

❖ छात्रवृत्ति

- 10वीं - रू 20,000/- प्रति छात्र
- 11वीं - रू 20,000/- प्रति छात्र
- 12वीं - रू 30,000/- प्रति छात्र

• उच्च शिक्षा (व्यवसायिक)

- इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, - रु 40,000/- प्रति छात्र
नर्सिंग, विधि, फैशन डिजाइन
आदि

• उच्च शिक्षा (शैक्षिक)

- स्नातक - रु 25,000/- प्रति छात्र
- स्नातकोत्तर - रू 40,000/- प्रति छात्र
- MBA, PGPM आदि - रु 50,000/- प्रति छात्र

❖ कौशल विकास

- पूर्व सैनिक आश्रितों हेतु प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण
- PMKVY प्रशिक्षित आश्रितों हेतु रोजगार के अवसर

- ❖ पुत्रियों के विवाह हेतु - रू1 लाख
- ❖ दुर्घटना बीमा - रू 10 लाख
- ❖ चिकित्सीय व्यय - रू 1 लाख
- ❖ अहेतुक राशि - रू 1 लाख
- ❖ न्यूनतम दरों पर विवाह हेतु लॉन, हॉल एवं अतिथि कक्ष
- ❖ वीर नारियों एवं पूर्व सैनिक की विधवाओं को रोजगार
- ❖ कमांड हॉस्पिटल एवं डेंटल सेन्टर को पूर्व सैनिकों हेतु वित्तीय सहायता
- ❖ ईसीएचएस पॉली क्लिनिक में निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
- ❖ दिव्यांग पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों हेतु मोबिलिटी उपकरण
- ❖ सामान्य बिमारी की दशा में ड्यूटी पर न आ पाने पर रु 600/- प्रतिदिन की दर से भत्ता